फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

भगवानाराम बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट न.मु.–21/2023 GCMS No. – 2023/39

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.02.23	(नीचे देखें)	

27.02.23

यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी श्री भगवानाराम पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी आबसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही रणधीसर की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 303 में प्रार्थी का नाम भगवाना पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी आबसर खातेदार दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार भगवानाराम पुत्र हनुमानाराम है। प्रार्थी का नाम भगवानाराम पुत्र हनुमानाराम किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र की पुश्त पर तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट का अंकन है। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रोही रणधीसर की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 303 में भगवाना पुत्र हनुमानाराम दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम भगवानाराम पुत्र हनुमानाराम है जो शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात , प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, प्रमाण पत्र कार्यालय ग्राम पचांयत आबसर एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 303 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	रणधीसर	303 (नया)	भगवाना पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी आबसर खातेदार	भगवानाराम पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी आबसर खातेदार

राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.03.15 10:59:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़)

दिनांक

क्रमांक – रीडर/2023/

1. तहसीलदार सुजानगढ़ को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)